2023/डीएचसी/001306

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णित : 14.02.2023

\+ **नि.प्र.अ.(वाणि.) 27/2023**

विजय अग्रवाल ...अपीलार्थी

द्वारा : श्री राजीव सक्सेना, श्री सिद्धांत लुथरा, अधिवक्तागण के साथ अपीलार्थी स्वयं

बनाम

मेसर्स बालाजी फैब्रिक्स व अन्य ...प्रत्यर्थी

द्वारा :

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री पूनम ऐ. बाम्बा

2023/डीएचसी/001306

न्या., सुश्री मुक्ता गुप्ता (मौखिक)

सि.वि.आ. 7324/2023

न्यायसंगत अपवाद के अध्यधीन छूट प्रदानित |

सि.वि.आ. 7323/2023 (देरी)

1. इस आवेदन द्वारा अपीलार्थी अपील दायर करने में हुई 38 दिनों की देरी हेतु क्षमा माँगता है|

2. आवेदन में बताए गए कारणों पर अपील दायर करने में 38 दिनों की देरी को माफ किया जाता है|

3. आवेदन का निपटान किया जाता है|

नि.प्र.अ.(वाणि.) 27/2023

1. स्वीकृत की जाती है|

2. इस अपील द्वारा अपीलार्थी ने 27 सितंबर, 2022 के आक्षेपित निर्णय

को चुनौती दी है जिसके द्वारा अपीलार्थी के द्वारा दायर वाद जिसके द्वारा मूल राशि के रूप में 2,32,277/- रुपए और 3 फरवरी, 2017 से 23 फरवरी, 2019 तक 24% प्रतिवर्ष की दर से की गई गणना से 1,14,547/- रुपए की राशि ब्याज के रूप में वसूल करने की माँग की गई है जिसके साथ ही वाद के लंबित रहने के दौरान और भविष्य के ब्याज संग खारिज कर दी गई है|

3. वाद में अपीलार्थी का दावा यह था कि अपीलार्थी मैसर्स विजय अग्रवाल व कंपनी का मालिक है और उनका कार्यालय डी-51, सेक्टर ए-2, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद में है जो कि उत्पादन, कपड़े बेचने, ड्रेस मटेरियल और महिलाओं के सूट आदि बेचने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं| यह वादपत्र में दावा किया गया था कि प्रत्यर्थीगण ने छुटपुट काम करवाए और कुछ लेडीज सूट के कपड़े, ड्रेस मटिरियल इत्यादि खरीदे जिसके लिए वादी ने बीजक बनाए थे; हालाँकि प्रत्यर्थीगण ने

सामानों पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि छुटपुट कार्य भी उनकी संतुष्टि के अनुसार किया गया था, फिर भी उन्होंने आवश्यक भुगतान नहीं किया|

4. वादपत्र में अपीलार्थी के दावे के जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाब के अनुच्छेद 3 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थीगण ने कभी भी वादी के साथ किसी भी तरह का कार्य नहीं किया है| वादी द्वारा प्रत्यर्थी कंपनी के नाम पर वाद के साथ संलग्न बीजकों को प्रत्यर्थी या उनके एजेंटों द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया है| प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी भी कोई क्रेडिट नोट या माँग पत्र प्राप्त या स्वीकार नहीं किया गया है और इसलिए वादी और प्रत्यर्थीगण के बीच कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होने से वादी किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं| यहाँ तक कि दस्तावेजों की स्वीकृति / अस्वीकृति में भी प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से बीजकों को अस्वीकार किया था| श्री बालाजी फैब्रिक्स के

दो भागीदारों द्वारा दायर शपथपत्र के माध्यम से दिए गए साक्ष्य में यह कहा गया कि उनका वादी / अपीलार्थी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था| यह दावा किया गया था कि प्रत्यर्थीगण 40 वर्षों से भी अधिक समय से कपड़ों के उत्पादन, उन्हें डिजाइन करने और बिक्री के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं|

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जिसके द्वारा किसी भी व्यावसायिक संबंध से इनकार नहीं किया गया था| उन्होंने आगे तर्क दिया कि सामान की प्राप्ति वाली कच्ची रसीदों के साथ बीजकों को विधिवत रूप से सही साबित किया गया था| अपीलार्थी ने अपना अकाउंट विवरण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और इसलिए अपीलार्थी के अनुसार वादी और प्रत्यर्थीगण के बीच व्यावसायिक संबंध साबित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य

मौजूद थे और यह कि बीजकों के आधार पर अपीलार्थी ने सामान दिया है और छिटपुट काम किए जिसके लिए कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था|

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ किसी भी व्यावसायिक संबंध और साथ ही बनाए गए बीजकों से भी इनकार किया, अपीलार्थी पर अपने पूरे मामले को सही साबित करने की जिम्मेदारी थी| सिर्फ इसलिए कि वादी द्वारा जारी नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया इससे अपीलार्थी द्वारा जारी किए नोटिस की विषय-वस्तु से प्रत्यर्थीगण की स्वीकृति नहीं मानी जा सकती| हालाँकि अपीलार्थी का दावा है कि उसने सामान दिए जाने और छिटपुट काम के हो जाने के दौरान बनाए गए 6 बीजक सही साबित कर दिए थे परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी विजय अग्रवाल, जो कठघरे में उपस्थित थे, ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि उन्होंने बीजक नहीं बनाया था और इसलिए विद्वान जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) ने माना कि बीजक

मुकेश, जो अपीलार्थी का लेखाकार था, के द्वारा बनाया गया था जिसने कठघरे में प्रवेश नहीं किया था इसलिए बीजकों को साबित नहीं किया गया था| आगे, अपीलार्थी ने दिए गए सामान और किए गए छिटपुट कार्य की कोई रसीद सही साबित नहीं की है क्योंकि उन्होंने कुछ कच्ची रसीदों को अभिलेख पर रखा था जिनका कानून की नजर में कोई महत्त्व नहीं है| आगे, यह भी साबित नहीं किया गया है कि कथित रूप से सामान प्राप्त होने पर उक्त रसीदों पर किसने हस्ताक्षर किए थे|

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता भी प्रत्यर्थीगण के दावे पर बहुत अधिक भरोसा जताते हैं कि अपीलार्थी की यह रणनीति दवाब डालने की थी| केवल “दवाब डालने” शब्द के उपयोग मात्र से दायित्व की स्वीकृति नहीं है| व्यावसायिक संबंध की कोई स्वीकृति नहीं होने के कारण दायित्व तो दूर, अपीलार्थी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी थी कि बनाए गए बीजक के खिलाफ सामान को विधिवत दिया गया था जो उपरोक्त साक्ष्य

को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी सही साबित करने में विफल रहा है और इस प्रकार अपीलार्थी के दायित्व का निर्वहन करने में सफल नहीं हुआ है| नतीजतन, हमे आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है|

8. अपील खारिज की जाती है|

9. इस न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय अपलोड किया जाए|

(मुक्ता गुप्ता)
न्यायाधीश

(पूनम ए. बाम्बा)
न्यायाधीश

14 फरवरी, 2023
'जीए'

2023/डीएचसी/001306

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*